जनता के काम समय-सीमा में पूरे हों, हेल्पलाइन तक पहुंचने की नौबत न आए : मुख्यमंत्री

डॉ. यादव ने 21 प्रमुख कार्यों की समीक्षा कर विभागों को दिए आवश्यक निर्देश

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आम जनता से जुड़े कार्यों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रयास हों कि लोगों की समस्याएं हेल्पलाइन तक पहुंचने से पहले ही हल हो जाएं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 सहित 21 प्रमुख कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत साप्ताहिक शिविर और संवाद कार्यक्रमों से आमजन की समस्याओं के समाधान में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी एक माह की गतिविधियों की योजना पहले से तैयार की जाए। त्योहार या अन्य कारणों से शुक्रवार को शिविर नहीं हो पाने की स्थिति में शनिवार को आयोजन किया जाए। उन्होंने मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था प्रदेश के जिलों में भी लागू की जाएगी, ताकि अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचें और कार्यों का समय पर निराकरण हो। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि की निःशुल्क रजिस्ट्री और अधिकार अभिलेखों के पंजीयन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को बैंक ऋण की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जाए और भूमिहीनों को आवास पट्टे देने की प्रक्रिया पूरी की जाए। बैठक में नर्मदा समग्र मिशन के गठन और क्रियान्वयन, नगरीय क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज प्रबंधन, तकनीकी अमले की व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने चित्रकूट, दतिया, ओरछा और ओंकारेश्वर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली।

सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। बैठक में होमगार्ड भर्ती, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की क्षमता वृद्धि और विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अवसर देने संबंधी विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी प्रस्तावित कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

ब्रह्माकुमारी संस्थान के सहयोग से महाविद्यालय में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

150 छात्राओं ने ली नशामुक्त भारत निर्माण की शपथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल में '10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान-2026' के अंतर्गत जागरूकता एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया।

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. प्रतिमा यादव के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी संस्थान से आईं साध्वियों ने छात्राओं को नशामुक्त जीवन, सकारात्मक सोच, राजयोग मेडिटेशन और मानसिक व आध्यात्मिक शांति के महत्व की जानकारी दी।

डॉ. अर्चना गौड़ (सीनियर प्रोफेसर) की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में करीब 150 छात्राओं ने सहभागिता की और नशामुक्त भारत के निर्माण की सामूहिक शपथ ली। इस अवसर पर डॉ. प्रतिमा खरे, डॉ. कविता सिंह (राजनीति विज्ञान), डॉ. कविता (इतिहास), डॉ. नूतन केवट सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक और स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अर्चना सोनी ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया।

वृद्ध मित्र कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों को सहायक उपकरण वितरित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः 'वृद्ध मित्र' कार्यक्रम के तहत संजयवनी अस्पताल, कमला नगर में बुजुर्गों के लिए सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एएलआईएमसीओ एवं सीआरसी के सहयोग से जरूरतमंद बुजुर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार करीब 450 से 500 सहायक उपकरण वितरित किए गए।

शिविर में व्हीलचेयर, वॉकर, हियरिंग एड, वॉकिंग स्टिक, सर्वाइकल बेल्ट, लम्बर बेल्ट और नी-ब्रेस सहित विभिन्न उपकरण दिए गए। इससे बुजुर्गों की दैनिक गतिविधियों में सुविधा, गतिशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी। 'वृद्ध मित्र' का उद्देश्य बुजुर्गों को घर और समुदाय के नजदीक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके तहत फिजियोथेरेपी, स्वास्थ्य परामर्श, गृह भ्रमण, मनोसामाजिक सहयोग और सरकारी योजनाओं से जोड़ने जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। भोपाल की टीम करीब 2,000 बुजुर्गों को नियमित सहयोग प्रदान कर रही है।

मिलाद-उन-नबी पर राजधानी में दो जुलूस कई मार्गों पर रहेगा यातायात परिवर्तन

मंगलवारा और अशोका गार्डन से निकलेंगे चल समारोह, वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मिलाद-उन-नबी के मौके पर बुधवार 26 अगस्त को राजधानी भोपाल में दो अलग-अलग क्षेत्रों से चल समारोह निकाले जाएंगे। जुलूसों को देखते हुए नगरीय यातायात पुलिस ने पुराने और नए शहर के कई इलाकों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जुलूस मार्गों से बचते हुए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।

मंगलवारा क्षेत्र में निकलने वाले जुलूस के लिए दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक और अशोका गार्डन क्षेत्र के जुलूस के लिए दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक आवश्यकता के अनुसार ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। मंगलवारा क्षेत्र का चल समारोह दोपहर 2 बजे छावनी स्थित भारत टॉकीज से प्रारंभ होगा। जुलूस सेंट्रल लाइब्रेरी, इतवारा, इस्लामपुरा, बड़े मास्टर तिराहा, बुधवारा, इब्राहिमपुरा, मोती मस्जिद और पीरगेट होते हुए इमामी गेट चौराहे पर समाप्त होगा।

जुलूस के दौरान भारत टॉकीज से सेंट्रल लाइब्रेरी-इतवारा और छावनी रोड से मंगलवारा थाना की ओर जाने वाले मार्गों पर जरूरत के अनुसार यातायात बदला जाएगा। वहीं काली मंदिर तलैया से बुधवारा, कोतवाली और इब्राहिमपुरा की ओर जाने वाले रास्तों पर भी डायवर्जन रहेगा।

मोती मस्जिद और पीरगेट क्षेत्र में जुलूस पहुंचने के दौरान संबंधित मार्गों पर भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। जुलूस मार्ग पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों, अनुमति प्राप्त वाहनों और सिटी बसों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

अशोका गार्डन का जुलूस जिंसी चौराहे पर होगा समाप्त

अशोका गार्डन क्षेत्र का चल समारोह अशोका गार्डन से शुरू होकर पुष्प नगर पुलिया, नूतन नगर रोड, ऐशबाग रोड, सोनिया कॉलोनी चौराहा, दुर्गा धाम मंदिर रोड, अशोका गार्डन थाना, परिहार चौराहा, मंडी चौराहा और प्रभात चौराहा होते हुए सुभाष नगर ओवरब्रिज पहुंचेगा।

इन रास्तों का कर सकेंगे उपयोग

यातायात पुलिस के अनुसार रॉयल मार्केट से तीन मोहरा, भोपाल टॉकीज और हमीदिया रोड होते हुए वाहन निकल सकेंगे। नादरा बस स्टैंड से आने वाले वाहन अल्पना तिराहा, संगम तिराहा, सब्जी मंडी, ओवरब्रिज, बजरिया तिराहा और 80 फीट रोड होकर नए शहर की ओर जा सकेंगे। न्यू मार्केट और मैदा मिल की ओर से आने वाले वाहन कमला पार्क, रेतघाट, सदर मंजिल,तीन मोहरा, शाहजहांनाबाद थाना तिराहा और हमीदिया रोड से पुराने शहर और मुख्य रेलवे स्टेशन की ओर जा सकेंगे।

गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर निगम की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम अमले ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, सीएंडडी वेस्ट डालने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अलग-अलग जोन क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान कुल 56 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में 17 हजार रुपये की राशि जुर्माने और स्पॉट फाइन के रूप में वसूल की गई। कार्रवाई के तहत जोन क्रमांक 13 में 11 प्रकरणों में 1,400 रुपये, जोन क्रमांक 14 में 22 प्रकरणों में 5,100 रुपये, जोन क्रमांक 15 में 15 प्रकरणों में 1,500 रुपये और जोन क्रमांक 16 में 2 प्रकरणों में 3 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा निगम अमले ने मांस विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की। जोन क्रमांक 17 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 77 और 78 में छह मांस विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाएं, निर्माण सामग्री का अपशिष्ट निर्धारित स्थानों पर ही डालें और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें।

वियतनाम टूर के साथ होगा सिंधी सम्मेलन भाषा और संस्कृति पर होगी चर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा 6 से 13 सितंबर तक आयोजित होने वाले 8 दिवसीय वियतनाम पारिवारिक टूर एवं सिंधी सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए पंचायत की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता चंद्रप्रकाश इसरानी ने की।

बैठक में संयोजक कन्हैयालाल इसरानी, महासचिव सुरेश जसवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश चोटरानी और जर्मी मेकर राहुल मिश्रा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। महासचिव सुरेश जसवानी ने बताया कि सदस्यों की मांग को देखते हुए टूर की अवधि बढ़ाकर 7 रात और 8 दिन कर दी गई है। इसमें वियतनाम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल फोकाक को भी शामिल किया गया है।

टूर के दौरान आयोजित होने वाले एक दिवसीय सिंधी सम्मेलन में सिंधी भाषा को वैश्विक स्तर पर समृद्ध बनाने, युवा पीढ़ी को सिंधी साहित्य, कला और संस्कृति से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में वियतनाम में रहने वाले स्थानीय सिंधी समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है।

आयोजकों ने बताया कि सिंगापुर टूर की तर्ज पर इस बार भी प्रतिभागियों को संत हिरदाराम ग्रुप, झूलेलाल ग्रुप और गुरुनानक देव ग्रुप में विभाजित किया जाएगा।

प्राचीन झूलेलाल मंदिर में चालीहा साहिब का समापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः शहर के प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर में चालीहा साहिब का समापन धार्मिक श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हुआ। इस अवसर पर बहिराणा साहिब की ज्योत पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष माधु चांदवानी और मंदिर सेवादारी अशोक मोतियानी ने प्रज्ज्वलित की। इसके बाद अखा डाला गया और भगवान झूलेलाल जी की विधिवत पूजा-अर्चना की गई।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध कमल भगत का भक्तिमय आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल के भजनों पर उत्साह के साथ भाग लिया। 'दमादम मस्त कलंदर', 'जेखे झूलण मथा आए विश्वास उहो हथ मथे करें' और 'लाल मुंहिजी पत रखजा झूलेलाल' जैसे भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे।

इस अवसर पर देश की सुख-शांति, समृद्धि, भाईचारे और सिंधी समाज की एकता के लिए अरदास की गई। कार्यक्रम के बाद बहिराणा साहिब की शोभायात्रा निकाली गई, जिसका समापन शीतल दास की बगिया में हुआ। यहां आम भंडारे और हथप्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पार्षद अशोक मारण सहित सिंधी समाज के अनेक गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने धार्मिक आयोजन में उत्साहपूर्वक सहभागिता कर भगवान झूलेलाल से समाज और देश की खुशहाली की कामना की।

दादी प्रकाशमणि की 19वीं पुण्यस्मृति पर श्रद्धांजलि

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ब्रह्माकुमारीज सुख शांति भवन, नीलबड़ में संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्यस्मृति पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पुण्यस्मृति को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हुए उपस्थितजनों ने प्रेम, सद्भाव, एकता और निस्वार्थ सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में पूर्व निदेशक एम्स भोपाल डॉ. माधवानंद, समाजसेवी महेंद्र शर्मा, बौद्ध भिक्षुणी संघमित्रा जी, फादर अल्फ्रेड डिसूजा और एसएसएलएस आयुर्वेदिक कॉलेज, रतलाम के प्राचार्य डॉ. दिलीप कुमार सहित अन्य अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित की।

सुख शांति भवन की निदेशिका राजयोगिनी नीता दीदी ने दादी प्रकाशमणि जी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व में अद्भुत मातृत्व और अपनापन था। वे जाति, धर्म और पद का भेद किए बिना सभी को समान स्नेह और सम्मान देती थीं।

बीके आराधना दीदी, राजयोगिनी बीके ज्योति दीदी और बौद्ध भिक्षुणी संघमित्रा जी ने भी दादी जी के जीवन को प्रेम, करुणा, सत्य और विश्व बंधुत्व की प्रेरणा बताया।

कार्यक्रम में राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। संचालन बीके डॉ. प्रियंका ने किया।

सड़कों पर घूम रहे 17 पशु कांजी हाउस भेजे

नप्र, भोपालः शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर खुले में घूमने वाले पशुओं को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

निगम की गोवर्धन परियोजना शाखा ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 17 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा, जबकि बीमार और घायल 5 पशुओं को उपचार के लिए आसरा पशु चिकित्सालय भेजा गया। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को पकड़ा गया। अभियान के दौरान 20 पशुओं को गांधी नगर कांजी हाउस से और 20 पशुओं को अरवलिया कांजी हाउस से महामृत्युंजय गौशाला भेजा गया।

सूचना

गिल्हेरी ऑर्गेनिक्स, भोपाल, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से जारी अध्यादेश S.O. 2900 (E) दिनांक 24.10.2015 अनुसार निम्न लिखित Imported 100% Water Soluble NPK Mixture fertilizers भारत में आयात कर इसे मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों में विक्रय करने के लिए उत्सुक है। उक्त खाद के प्रकार Imported 100% Water Soluble Mixture Fertilizers, NPK 13-40-13, NPK 00-00-50 (Potassium Sulphate), NPK 0-60-20, NPK 8-24-24+4MgO+6S, NPK 6-0-49+8%Sulphur, NPK 40-10-10+2%MgO+TE, NPK 0-48-47+TE, NPK 14-48-0, NPK 0-42+47+2.5 Fe इन सभी खादों की गुणवत्ता उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार रहेगी।

गिल्हेरी ऑर्गेनिक्स
एमएक्स-175, ई-7 एक्सटेंशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय नजूल अधिकारी, नजूल शहर वृत्त, भोपाल

क्रमांक/246/ रीडर/2020 **भोपाल दिनांक 10/08/2026**
प्रकरण क्रमांक-27/अ-20(3)/2026-27

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक म.प्र. भवन विकास निगम लिमि. भोपाल को कार्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम शहर भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 959/1 का रकबा 25.20 हैक्ट. में से 0.31 हैक्ट. भूमि का म.प्र. भवन विकास निगम लिमि. भोपाल के पक्ष में आवंटन/हस्तांतरण चाहा गया है।
उपरोक्त भूमि म.प्र. भवन विकास निगम लिमि. भोपाल को आवंटन/हस्तांतरण किये जाने संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इश्तहार जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित हो कर समक्ष में प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि उपरांत आवेदन या आपत्ति प्राप्त होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक19/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी,
नजूल वृत्त भोपाल
जी-17682/26

नाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व नाम सुमन जो कि मेरे कार्यालय-राजधानी परियोजना, उपसंभाग नं.-3 भोपाल म.प्र. दर्ज है मेरा वास्तविक सही नाम सुमन ऐनडईत (Suman Yandait) पत्नी श्री दगडू ऐनडईत निवासी - 15, बंगाली कॉलोनी, पंचशील नगर, हुजूर भोपाल म. प्र.- 462003 हो गया है मैं इसी नाम से जानी और पहचानी जाती हूं। जिसे पढ़ा और लिखा जावे।

1411

आम सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण के सूचित किया जाता अनिल सेन आत्मन श्री राजकुमार सेन निवासी-म.न. 1055, वार्ड 07. पावाटोला ग्राम पोस्ट ताला, तहसील मझौली, ताला, जिला सीधी मध्यप्रदेश का निवासी हूँ। मेरी पुत्री का वास्तविक नाम करीना सेन (KARINA SEN) है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र एवं अंकसूची में अंकित होने से प्रमाणित है परंतु त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम शिल्पी सेन (SHILPI SEN) अंकित हो गया है, अब मेरी पुत्री प्रकाशन उपरांत अपने नये नाम करीना सेन (KARINA SEN) से जानी पहचानी

पुराना नाम करीना सेन (KARINA SEN)
नया नाम : शिल्पी सेन (SHII SEN)

1410

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
मैक ट्रिब्यूनल, भोपाल
नोटिस प्रकाशन हेतु उत्तराधिकार
एमजेसी एसयूसी/123/2026
श्रीमती कीर्ति गगरानी बनाम सर्वसाधारण
NEXT DATE 28-09-2026

प्रेषिती, (1) प्रेषिती- सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती कीर्ति गगरानी पता रामकुटी, 56-ख, 2/55-56-57-58, बावडियाकला वाईसराय पार्क लेन केनाल बस स्टॉप के पास, हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. ने मृतिका श्रीमती पार्वती देवी गगरानी पत्नी शिवनारायण गगरानी म.नं. 315 जुमेराती बाजार पुराना 15 जुमेराती बाजार भोपाल, पता- 56 ख 2/55-56-57-58, बावडियाकला वाईसराय पार्क लेन भोपाल राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 28-09-2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 28-09-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 20-07-2026 को को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

जयंत शर्मा,न्यायाधीश
बारहवें जिला न्यायाधीश जिला भोपाल (म.प्र.)

1409

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, शास्त्री नगर, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक बी-15 भूतल मण्डल द्वारा श्री सतीश चन्द्र गुप्ता आत्मज श्री डालचन्द्र गुप्त के नाम पर आवंटित है, उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 22.06.1988' को पंजीकृत है। श्री सतीश चन्द्र गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 29.03.2025 को हो गया है। श्री सतीश चन्द्र गुप्ता ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पत्ति श्री सुनिल कुमार अग्रवाल आ. स्व. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता एवं श्री संजय अग्रवाल आ. स्व. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता के नाम पंजीकृत वसीयतनामा का निष्पादन दिनांक 27.01.2022 को पंजीयन कार्यालय से कराया गया है। आवंटी के पुत्र द्वारा आवेदन शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्री सुनिल कुमार अग्रवाल आ. स्व. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता एवं श्री संजय अग्रवाल आ. स्व. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता के नाम पर नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

1408

कार्यालय काष्ठकलां औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटवास, बेगमगंज, जिला रायसेन
(पंजीयन क्रमांक / 320, दिनांक 28.07.1961)
क्रमांक/निर्वा./2026/क्यू
रायसेन दिनांक: 25.08.2026

वार्षिक आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन बाबत् विशेष साधारण सम्मेलन दिनांक 08.09.2026 को प्रातः 11.30 बजे से स्थानः वार्ड नं.-17, फर्शी रोड़, सिविल कोर्ट के पास, बेगमगंज, जिला रायसेन पर आयोजित की गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी श्री सौरभ राजपूत (सहकारी निरीक्षक), द्वारा दिनांक 01.09.2026 को समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्र लिये जावेगे, दिनांक 02.09.2026 को समय दोपहर 12.00 बजे से नियोजन पत्रों की जांच की जाएगी एवं दिनांक 03.09.2026 समय दोपहर 12.00 से 02.00 बजे तक नामांकन पत्रो की वापसी स्थान वार्ड नं.-17, फर्शी रोड़, सिविल कोर्ट के पास, बेगमगंज, जिला रायसेन पर की जा सकेगी। तत्पश्चात उम्मीदवारों की सूची का अंतिम प्रकाशन एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन रिटर्निंग अधिकारी श्री सौरभ राजपूत (सहकारी निरीक्षक), द्वारा किया जावेगा। विशेष साधारण सभा की सूचना के साथ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम सदस्यों को पृथक से डाक द्वारा भेजा गया है।

मुबीन भाई
अध्यक्ष काष्ठकलां औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटवास, बेगमगंज, जिला रायसेन

1407

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
मैक ट्रिब्यूनल, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
एमएसीसी/1976/2024
नसीमा बनाम राजकुमार विश्वकर्मा
NEXT DATE :17-09-2026

प्रेषिती,(1) आलिया बी शरीफ पता-237 विभाग 02 गांधी नगर डोबरा थाना गांधी नगर भोपाल यह कि प्रार्थी नसीमा ने आपके विरूद्ध एमएसीसी/1976/2024 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 22-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

जयंत शर्मा,न्यायाधीश
सदस्य बारहवें मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण जिला भोपाल (म.प्र.)

1406